कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0आई0यू0–2,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट,।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
☎/फैक्स नं0 05963–253127
ई–मेल– eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांक– 42 /पी0एम0जी0एस0वाई0/2022–23, दिनांक :– 18-4-2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय:– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.734 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/13374/2015)

सन्दर्भ:– भारत सरकार का पत्रांक संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/226/2015/एफ0सी0/1059, दिनांक 22.09.2017

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट मोटर कर्मी मार्ग से तोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.734 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आँख्या
01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.468 है0 ग्राम–चौडा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपड़ एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 23,98,547.00 (तेईस लाख अट्ठानब्बे हजार पॉच सौ सैंतालिस) मात्र जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन जमा की गई धनराशि के चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक:–01)** उक्त सिविल भूमि को जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्नक:–02)**
02	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0,दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 31,10,23800 (इकतीश लाख दस हजार दो सौ अड़तीश रू0 मात्र) 4.734 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया है। **(संलग्नक:–03)**
03	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता/शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक:–03)**

DK

04	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ०सी०,दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपड निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू० 23,98,547.00 (तेईस लाख अट्ठानब्बे हजार पाँच सौ सैतालिस) मात्र जमा कर दी गयी है, तथा 4.734 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) रू० 31,10,238.00 (इकतीश लाख दस हजार दो सौ अडतीश रू० मात्र) 4.734 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०वी०) ऑनलाईन जमा करा दिया है। **(संलग्नक:–04)**
05	सड़क निर्माण पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Vegre पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में *Strip Plantation* की जाएगी। इस आशय की बचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण पश्चात जहाँजहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Vegre पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है, तथा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। **(संलग्नक:–05)**
06	State Govt. will provide hard copy of the reply of this Office EDS dated 06.09.2016	इस प्रस्ताव की हार्ड कॉपी पूर्व मे ही इस कार्यालय के पत्रांक 349/ वनभूमि/ पी०एम०जी०एस०वाई/ 2020–21, दिनांक 18.08.2020 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है)
07	State will provide original hard copy of geo referenced map for diversion aces CA area, FRA, certificate, CA scheme and suitability certificate.	Geo referenced map for diversion aces CA area, FRA, certificate, CA scheme and suitability certificate. Has been forwarded .

<u>संलग्न:</u> – चार–चार प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा०नि०वि० पी०आई०यू०,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
कपकोट।